ORDER SHEET Contd.

THE COURT

शा० × कालू

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22.04.2024	राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित। अभियुक्त कालू पूर्व से अनुपस्थित है। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है। अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट अप्राप्त है। प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकरण पेशी दिनांक—23.03.2021 को आरोप पर तर्क हेतु नियत था, परंतु उक्त पेशी दिनांक को अभियुक्त के अनुपस्थित होने से उसकी जमानत एवं मुचलके निरस्त किये जाकर उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने का आदेश किया गया। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत किया जाकर उक्त पेशी दिनांक से अभियुक्त को निरंतर गिरफ्तारी वारंट जारी किये जा रहा है। पुलिस अभियुक्त को आज दिनांक को भी न्यायालय उपस्थित रखने में असमर्थ है। अभियुक्त की अनुपस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त की निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही प्रकरण न्यायालय के सबसे अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों की सूची में सम्मिलित है, जिसे शीघ्र निराकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर द्वारा निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को स्थायी रूप से फरार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त कालू पिता भगतसिंह सिसोदिया, उम्र—23 वर्ष, निवासी—अस्थायी झोपड़ी पर, सूतमिल के सामने, सनावद, जिला खरगोन म.प्र. को धारा—299 द.प्र.सं. अंतर्गत स्थायी रूप से फरार घोषित किया जाता है।	

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय इंदौर द्वारा मुद्रित

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अभियुक्त का स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किये जावे। प्रकरण का मूल अभिलेख नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे एवं प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट लगाई जावे कि प्रकरण में अभियुक्त फरार हैं। अतः प्रकरण सुरक्षित रखा जावें। **(पूर्वी तिवारी)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद, जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)	